2025:CGHC:13436

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1451/2024

जावेद अंसारी उर्फ राजा पिता जहांगीर अंसारी, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी– मेन रोड, गोदरीपारा, थाना चिरमिरी, जिला एम.सी.बी. (छ.ग.)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना प्रभारी चिरमिरी, जिला कोरिया (छ.ग.)(वर्तमान में जिला एम.सी.बी.)

...उत्तरवादी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य की ओर से	:	सुश्री लक्ष्मीन कश्यप, पैनल अधिवक्ता
आपत्तिकर्ता की ओर से	:	सुश्री रेखा श्रीवास्तव, अधिवक्ता न्याय मित्र के रुप में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा

बोर्ड पर निर्णय

20/03/2025

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की सम्मति से प्रकरण की अंतिम सुनवाई की जाती है।

2. अपीलार्थी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415(2) के अधीन वर्तमान दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है, जिसमें विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम), चिरमिरी, जिला कोरिया (वर्तमान एमसीबी) (छ.ग.) द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 06/2023 में दिनांक 18.07.2024 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत सिद्धदोष एवं दण्डित किया गया है, जिसमें 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000/– रूपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड राशि के संदाय के व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

3. अभियोजन के अनुसार इस प्रकरण में अभियोक्त्री ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अभियोक्त्री और आवेदक बचपन से एक दूसरे को जानते थे और दोनों एक दूसरे के घर आते–जाते थे। दिनांक

19.11.2017 को आवेदक अभियोक्त्री के घर गया जब उसके घर पर कोई नहीं था और विवाह का झांसा देकर लैंगिक संबंध बनाया, जबकि उसकी आयु 17 वर्ष थी। आवेदक ने कई बार विवाह का झांसा देकर लैंगिक संबंध बनाए हैं, जब अभियोक्त्री घर पर अकेली थी। वर्ष 2018 में जब अभियोक्त्री नोएडा में मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही थी, तब आवेदक उसके साथ गया था और किराये के मकान में साथ रहा था। वर्ष 2020 में जुलाई और दिसंबर माह में उसका दो बार गर्भपात हुआ। दिनांक 01.05.2022 को अभियोक्त्री एवं आवेदक एक साथ चिरमिरी स्थित अपने घर वापस आए तथा साथ–साथ रहने लगे तथा आरोप लगाया कि अभियोक्त्री द्वारा विवाह का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए तथा जब अभियोक्त्री ने आवेदक से विवाह करने के लिए कहा तो वह कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका, जिस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (2) (ढ़) एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन रिपोर्ट दर्ज की गई।

4. पीड़िता एवं अन्य साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन ने 07 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किया गया, जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष बताया और झूठे आरोप में फंसाने का अभिवाक किया। यद्यपि, जब बचाव पक्ष का कथन दर्ज किया गया, तो अभियुक्त ने बचाव में साक्ष्य देने की बात कही और बचाव में ओडिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोदरीपारा, चिरमिरी के प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र और स्वयं का परीक्षण कराया।

6. विचारण पूर्ण होने पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस निर्णय के पैरा तीन में उल्लिखित अनुसार सिद्धदोष एवं दण्डित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर कोई पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना अपीलार्थी को त्रुटिपूर्ण रुप से सिद्धदोष एवं दण्डित किया है। उनका आगे तर्क है कि अभियोक्त्री और अभियुक्त बचपन से एक–दूसरे को जानते थे और 2017 से 2022 तक वे कई स्थानों पर साथ– साथ रहे और बिना शिकायत किए भी अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ रही और जब अपीलार्थी ने व्यक्तिगत कारणों से विवाह करने से इनकार कर दिया, जिस पर अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका आगे तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने बचाव पक्ष के साक्षी सुभाष चंद्र (ब.सा.–1) के कथन की विवेचना नहीं की है क्योंकि वह अभियोक्त्री की आयु के विषय में विसंगतियों के बारे में स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। यह भी तर्क किया गया है कि अभियोक्त्री की आयु साबित नहीं हुई है और यद्यपि हम अभियोक्त्री की आयु

दाखिल खारिज पंजी के अनुसार लें, उसकी जन्मतिथि दिनांक 04.10.1999 है, वह घटना के समय एक वयस्क स्त्री थी और उसने अपीलार्थी के साथ रहने के लिए अपनी सम्मति दी थी। उनका आगे तर्क है कि अ.सा. 3– विद्याश्री तिवारी के पैरा 5 के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई हालिया लैंगिक संबंध नहीं देखा जा सकता है और उनके अभिमत में कोई बलपूर्वक संभोग नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और अपीलार्थी का दण्ड विवेक के नियम के विपरीत है और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में अपीलार्थी का दण्ड विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अतः यह सविनय प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय कृपया इस अपील को स्वीकार करने और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को अपास्त करने की कृपा करे एवं अपीलार्थी को आरोपों से दोषमुक्त किया जाए।

8. दूसरी ओर, राज्य और पीड़ित पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का विरोध करते हैं तथा तर्क करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है और विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और विचारण न्यायालय के अभिलेख और अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

10. अभियोक्त्री की आयु पर विचार करने हेतु ,मुझे अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य/सामग्री का परीक्षण करना है। अभियोजन ने मुख्य रूप से प्र.पी.–10 के दाखिल खारिज पंजी का अवलंब लिया है, जिसमें अभियोक्त्री की जन्म तिथि 04.10.2000 दर्शाई गई है।

11. अभियोक्त्री (अ.सा.–1) ने अपने मुख्य परीक्षण (पैरा–1) में कथन किया है कि उसकी जन्म तिथि 04.10.2000 है। उसने पैरा–12 (प्रति–परीक्षण) में आगे कथन किया कि आधार कार्ड के अनुसार, उसकी जन्म तिथि 04.10.1999 दर्शाई गई है। पैरा–13 में उसने कथन किया कि आधार कार्ड के अनुसार उसकी आयु नवंबर 2017 में 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। उसने आगे कथन किया कि रिपोर्ट दर्ज कराते समय उसने अपनी आयु 23 वर्ष बताई थी।

12. राजेश प्रसाद मिश्रा (अ.सा.–2), प्रधानाध्यापक सरस्वती शिशु मंदिर शाला, गोदरीपारा, चिरमिरी ने कथन किया कि दाखिल खारिज पंजी के क्रमांक 12 में अभियोक्त्री की जन्मतिथि 04.10.2000 अंकित है। अपने प्रतिपरीक्षण (पैरा–3) में उन्होंने कथन किया कि दाखिल खारिज पंजी में अभियोक्त्री

का विवरण उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। यह भी नहीं बताया गया है कि अभियोक्त्री को किसके द्वारा और किस दस्तावेज के आधार पर प्रवेश दिया गया है।

13. सुभाष चंद्र (ब.सा.–1), प्रधानाध्यापक उड़िया उच्चतर माध्यमिक शाला, गोदरीपारा, चिरमिरी, जिला, एम.सी.बी. वर्ष 2017 से पीड़ित ने बताया है कि वह वर्ष 2006 का प्रवेश पंजी लेकर आया है। प्रवेश पंजी क्रमांक 1978 के पृष्ठ क्रमांक 12 पर पीड़िता, उसके पिता व माता का नाम दर्ज है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 04.10.1999 दर्ज है। इसी पंजी के क्रमांक 1976 पर पीड़िता की बहन व उसके माता–पिता का नाम दर्ज है, जिसमें उसकी बहन की जन्म तिथि 20.04.2001 दर्ज है। उक्त प्रविष्टि विद्यालय लिपिक द्वारा 26.07.2006 को की गई है। उक्त प्रविष्टि छात्रों के माता–पिता या अभिभावकों के निर्देशानुसार की गई है। प्रवेश पंजीकरण प्र.डी/2 है।

14. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 में आयु के उपधारण के अवधारण का प्रावधान है। यह निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **94. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण–** (1) जहां बोर्ड या समिति को, इस अधिनियम के किसी उपवंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की प्रतीति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सल्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेषण को अभिलिखित करेगा और आयु की और अभिषुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना, यथास्थिति, धारा 4 या धारा 36 के अधीन जांच करेगा।
>
> (2) यदि समिति वा बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के युक्तियुक्त आधार है कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो, यथास्थिति, समिति वा बोर्ड, निम्नलिखित साक्ष्य अभिप्राप्त करके आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा–
>
> (i) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसके अभाव में
>
> (ii) निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र;
>
> (iii) और केवल उपरोक्त के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा

परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसे आदेश की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पूरी की जाएगी।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी।

15. **अलामेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, 2011(2)एससीसी–385** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि शासकीय विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। यद्यपि, ऐसे दस्तावेज़ की स्वीकार्यता अभियोक्त्री की आयु साबित करने के लिए बहुत साक्ष्यिक मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि आयु दर्ज करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का तब तक कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न काराया जाए जिसने प्रविष्टि की है या जिसने जन्म तिथि दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **अलामेलु (पूर्वोक्त)** में निर्णय के पैराग्राफ 40, 42, 43, 44 व 48 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी.–16 से ज्ञात होता है कि बालिका की जन्म तिथि 15 जून, 1977 थी। अतः उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तिथि अर्थात 31 जुलाई, 1993 को उसकी आयु 16 वर्ष (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) से अधिक होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है तथा प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। अतः यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा। यद्यपि, इस प्रकार के दस्तावेज की स्वीकार्यता बालिका की आयु साबित करने के लिए बहुत अधिक साक्ष्यिक मूल्य की नहीं होगी, क्योंकि उस सामग्री की अनुपस्थिति में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न कराया जाए जिसने प्रविष्टि की या जिसने जन्म तिथि दी।

42. किसी दस्तावेज़ में दर्ज तथ्यों को साबित करने के तरीके पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बिराद मल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित[1] के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया:–

"विद्यालय पंजी में उल्लिखित जन्म तिथि का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है जब तक कि प्रविष्टि करने वाले या जन्म तिथि देने वाले व्यक्ति का परीक्षण न कराया जाए....केवल इसलिए कि दस्तावेज प्रदर्श. 8, 9, 10, 11 व 12 साबित हो गए, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दस्तावेजों की सामग्री भी साबित हो गई। केवल दस्तावेजों प्रदर्श. 8, 9, 10, 11 व 12 का साक्ष्य दस्तावेजों में दर्शाई गई सभी सामग्री या जन्म तिथि की शुद्धता के साक्ष्य के समान नहीं होगा। चूंकि तथ्य की सत्यता, यानी हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि विवाद्यक थी, अतः उपरोक्त दो साक्षियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का साक्ष्य मात्र दस्तावेजों के तथ्यों या सामग्री की सत्यता का साक्ष्य नहीं देता। विवाद्यक में तथ्यों की सत्यता या अन्यथा, अर्थात् दस्तावेजों में उल्लिखित दो अभ्यर्थियों की जन्म तिथि स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, अर्थात उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद्यक में तथ्यों की सत्यता की गारंटी दे सकते हैं। उत्तरवादी द्वारा तथ्यों की सत्यता साबित करने के लिए इस तरह का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, अर्थात, हुक्मी चंद तथा सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि। परिस्थितियों में, उपरोक्त दस्तावेजों 1988 (पूरक) एससीसी 604 में उल्लिखित जन्म तिथियों का कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं है और इसमें उल्लिखित जन्म तिथियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

43. नर्बदा देवी गुप्ता विरुद्ध बीरेंद्र कुमार जायसवाल के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा विधि के इसी प्रस्ताव को दोहराया गया है, जहां इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:–

"विधिक स्थिति में कोई विवाद नहीं है कि न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज को मात्र प्रस्तुत करना और उसे प्रदर्शित करना ही उसकी विषय–वस्तु का युक्तियुक्त प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसका निष्पादन स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए, अर्थात "उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो में तथ्यों की सत्यता की गारंटी दे सकते हैं"।

"44. हमारे अभिमत में, अभियोजन द्वारा साक्ष्य का उपरोक्त भार नहीं उठाया गया है। पिता ने अपने साक्ष्य में स्थानांतरण प्रमाण–पत्र के बारे में कुछ नहीं कहा है। प्रधानाध्यापक का बिल्कुल भी परीक्षण नहीं कराया गया है। अतः बालिका की आयु निश्चित रूप से अवधारित करने हेतु स्थानांतरण प्रमाण–पत्र में प्रविष्टि का अवलंब नहीं किया जा सकता है।

48. हम आगे यह भी देख सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, एक लोक दस्तावेज़ को सिविल व दाण्डिक कार्यवाही में समान मानक लागू करके परखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, रविंदर सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य [4] के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करना युक्तियुक्त होगा जिसमें निम्नानुसार अवधारित किया गया :–

"विद्यालय पंजी में दर्ज व्यक्ति की आयु या अन्यथा विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग की जा सकती है, जैसे प्रवेश प्राप्त करना; नियुक्ति प्राप्त करना; चुनाव लड़ना; विवाह का पंजीकरण; सीलिंग कानूनों के अधीन एक अलग इकाई प्राप्त करना; और यहां तक कि सिविल फोरम के समक्ष विचारण करने के प्रयोजन से भी जैसे कि अभिभावक द्वारा न्यायालय में प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता या जहां कोई वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है कि वादी अवयस्क होने के कारण उसका युक्तियुक्त प्रतिनिधित्व नहीं किया गया या उसकी ओर से किया गया कोई भी लेन–देन अवयस्क होने के कारण शून्य था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, वाद के पक्षकार की आयु अवधारण के प्रकरण से न्यायालय को समान मानक लागू करना होगा। अपहरण या बलात्संग के प्रकरण में या इसी प्रकार के अपराध में जहां पीड़ित या अभियुक्त के विरुद्ध कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है। अभियोक्त्री ने यद्यपि अभियुक्त के साथ सम्मति व्यक्त की हो, परंतु यदि विद्यालय द्वारा निर्मित पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया जाता है, तो अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उस प्रकरण में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण सिद्धदोष किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. ऋषिपाल सिंह सोलंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, 2022 (8) एससीसी 602 के प्रकरण में, विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 33 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "33. उपर्युक्त निर्णयों की श्रृंखला पर संचयी विचार करने पर जो तथ्य उभर कर आता है, वह निम्नानुसार है:
>
> 33.2.2. यदि न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उपधारा (2) के प्रावधान को धारा 9 की उपधारा (2) के साथ लागू या पढ़ा जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति की यथासंभव आयु ज्ञात करने के लिए साक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
>
> XXXX
>
> XXXX
>
> XXXX
>
> 33.3. जब किशोर होने का दावा किया जाता है, तो दावाकर्ता व्यक्ति पर न्यायालय को प्रारंभिक भार से मुक्त करने के लिए संतुष्ट करने का भार होता है। यद्यपि, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अधीन किशोर न्याय नियम 2007 के नियम 12(3)(क)(i), (ii), और (iii) या धारा 94 की उपधारा (2) में उल्लिखित दस्तावेज किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 के उपधारा (2) के अनुसार, न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होगी। उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोर होने की धारणा बनाई जा सकती है।
>
> 33.4. यद्यपि, उक्त धारणा किशोर होने की आयु का निर्णायक साक्ष्य नहीं है और इसे विपरीत पक्ष द्वारा दिए गए विपरीत साक्ष्य द्वारा खंडित किया जा सकता है।
>
> 33.5. न्यायालय द्वारा जांच की प्रक्रिया किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष मांगे गए व्यक्ति की आयु किशोर के रूप में घोषित करने के समान नहीं है, जब प्रकरण संबंधित दाण्डिक न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए लंबित है। जांच के प्रकरण में, न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करता है परंतु जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उपधारा (2) के अनुसार आयु का अवधारण होता है, तो साक्ष्य के आधार पर घोषणा की जाती है। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वास्तविक आयु मानी जाएगी। इस प्रकार, जांच में साक्ष्य का मानक है यह उस कार्यवाही से अलग है जिसमें किसी व्यक्ति की आयु का अवधारण और घोषणा केवल तभी जांचे गए और स्वीकार किए गए साक्ष्य के आधार पर की जानी चाहिए, जब वह ऐसी स्वीकृति के योग्य हो।

33.6. किसी व्यक्ति की आयु अवधारित करने के लिए कोई अमूर्त सूत्र अवधारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय। यह अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर और प्रत्येक प्रकरण में पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना के आधार पर होना चाहिए।

33.7 इस न्यायालय ने अवधारित किया है कि जब अभियुक्त की ओर से यह तर्क देने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि वह किशोर था, तो अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

33.8. यदि एक ही साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो न्यायालय को सीमावर्ती प्रकरणों में अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का लाभ विधि से संघर्षरत् किशोर पर लागू हो। साथ ही, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग गंभीर अपराध करने के बाद दण्ड से बचने के लिए नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33.9. जब आयु का अवधारण शाला अभिलेख जैसे साक्ष्य के आधार पर किया जाता है, तो यह आवश्यक है कि इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार माना जाना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बनाए गए किसी भी लोक या आधिकारिक दस्तावेज की निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक विश्वसनीयता होगी।

33.10. कोई भी दस्तावेज जो लोक दस्तावेजों के अनुरूप है, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा लोक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 और अन्य प्रावधानों के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

33.11. अस्थि जांच आयु अवधारण के लिए एकमात्र मानदण्ड नहीं हो सकता है और किसी व्यक्ति की आयु के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षा द्वारा चिकित्सा राय के आधार पर नहीं अपनाया जा सकता है। ऐसा साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य नहीं है, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेजों की

अनुपस्थिति में विचार करने हेतु केवल एक बहुत ही उपयोगी मार्गदर्शक कारक है।"

18. हाल ही में, **पी. युवाप्रकाश विरुद्ध राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व, 2023 (एससीसी ऑनलाइन) एससी 846** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 14 से 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"14. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 (2) (iii) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि शाला से जन्म तिथि प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन या संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा समकक्ष प्रमाण पत्र को सबसे पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिसके अभाव में निगम या नगर प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और उसके बाद ही इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में संबंधित प्राधिकरण यानी समिति या बोर्ड या न्यायालय के आदेश पर आयोजित "अस्थि जांच" या "किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु अवधारण जांच" द्वारा आयु अवधारित की जानी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, केवल स्थानांतरण प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया गया। उदाहरण सी1, अर्थात शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र में पीड़िता की जन्म तिथि 11.07.1997 दिखाई गई। उल्लेखनीय रूप से, स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभियोजन द्वारा नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा आहूत साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया था अर्थात, न्यायालय साक्षी–1। अभियोजन पर हमेशा यह भार होता है कि वह जो आरोप लगाता है, उसे साबित करे; इसलिए अभियोजन ऐसे दस्तावेज़ पर अवलंब नहीं ले सकता था, जिस पर उसने कभी अवलंब नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, ब.सा.–3 में संबंधित राजस्व अधिकारी (उप तहसीलदार) ने शपथ पर कहा था कि जन्म और मृत्यु के संबंध में वर्ष 1997 के अभिलेख गायब थे। चूंकि यह धारा 94(2)(i) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के दस्तावेज़ों के विवरण का उत्तर नहीं देता था क्योंकि यह केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र था, अतः प्र.सी.–1 पर यह मानने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता था कि अपराध कारित करते समय एम की आयु 18 वर्ष से कम थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. ऋषिपाल सिंह सोलंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में हाल ही में पारित निर्णय में इस न्यायालय ने उन प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत की है, जहां आयु

अवधारण की आवश्यकता होती है। न्यायालय पूर्ववर्ती किशोर न्याय अधिनियम के नियम 12 (जो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के साथ समरूप है) पर विचार किया, तथा निम्नानुसार अवधारित किया:

> "20. किशोर न्याय नियम, 2007 का नियम 12 आयु अवधारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। विधि से संघर्षरत् व्यक्ति की किशोरता का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या उपलब्ध होने पर दस्तावेजों के आधार पर किया जाना चाहिए। परंतु न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आयु अवधारण की जांच निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके की जा सकती थी: (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में; (ii) प्राथमिक शाला (प्ले शाला के अतिरिक्त) से जन्म तिथि प्रमाण पत्र; और उसके अभाव में; (iii) किसी निगम या नगर निगम प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। केवल (i), (ii) और (iii) में से किसी एक की अनुपस्थिति में, किशोर या बालकों की आयु घोषित करने के लिए विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा अभिमत मांगी जा सकती थी। यह भी प्रावधान किया गया था कि अवधारण करते समय, लाभ दिया जा सकता है बालकों या किशोर को एक वर्ष के अंतराल के भीतर कम आयु पर विचार करके।
>
> 16. किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों, विशेषकर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 (2) में विभिन्न विकल्पों के बारे में व्यक्त करते हुए, इस न्यायालय ने **संजीव कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** में अभिनिर्धारित किया कि:
>
> "धारा 94 (2) का खंड (i) शाला से जन्म तिथि प्रमाण पत्र और 2021 (12) एससीआर 502 [2019] 9 एससीआर 735 संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को एक ही श्रेणी (अर्थात् (i) ऊपर) में रखता है। इसके अभाव में श्रेणी (ii) निगम, नगर निगम प्राधिकरण या पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान करती है। केवल (i) और (ii) की अनुपस्थिति में ही चिकित्सा विश्लेषण के माध्यम से आयु अवधारण का प्रावधान है। धारा 94(2) (क) (i) उन प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव को इंगित करती है जो 2007 के नियमों के नियम 12(3)(क) में निहित थे। अधिनियम 2000 के अधीन बनाया गया। नियम 12(3)(क) (i) के अधीन मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी गई थी और प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में ही उस शाला से जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता था, जहां पहले अध्ययन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया गया था। धारा 94(2)(i) में शाला से जन्म तिथि प्रमाण पत्र और मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है।

17. अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य में, इस न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि यह साबित करने का भार कि कोई किशोर है (या अवधारित आयु से कम) उस व्यक्ति पर है जो इसका दावा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उस निर्णय में, न्यायालय ने दस्तावेजों के पदानुक्रम को इंगित किया जो वरीयता क्रम में स्वीकार किए जाएंगे।

20. अब, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए और अभियोजन द्वारा एकत्र साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में, मैं पाता हूं कि अभियोजन द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी ठोस और वैध स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पीड़िता घटना की तारीख को अवयस्क थी और उसकी आयु 18 वर्ष से कम थी, इस तथ्य के बावजूद कि विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में अभियोक्त्री को अवयस्क माना है। तदनुसार, मैं विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों को खारिज करता हूं कि घटना की तारीख को पीड़िता अवयस्क थी क्योंकि अभियोजन द्वारा इसे ठोस या पुख्ता साक्ष्यों के द्वारा साबित नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. अभियोक्त्री की सम्मति पर विचार करने हेतु, मुझे अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य/सामग्री का परीक्षण करना होगा।

22. अभियोक्त्री (अ.सा.–1) ने अपने मुख्य परीक्षण (पैरा–1) में कथन किया है कि वह अभियुक्त जावेद अंसारी उर्फ राजा से बचपन से परिचित है, वह उसके घर के पास रहता है। वह 2017 से अभियुक्त से मोबाइल फोन पर बात करती थी। उसने आगे व्यक्त किया कि अभियुक्त उससे मिलने उसके घर आया था, उस समय उसकी मां घर पर नहीं थी। अभियुक्त ने उससे शारीरिक संबंध बनाने और विवाह करने के लिए कहा, उसने अभियुक्त से कहा कि उसे पढ़ाई करनी है। जून या जुलाई 2017 के महीने में अभियुक्त ने उसके घर पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अभियुक्त अगली सुबह तक उसके घर पर ही रहा। अभियुक्त सुबह वापस चला गया।

23. पैरा–2 में इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि वह वर्ष 2018 में दिल्ली गई थी, उसके बाद अभियुक्त भी दिल्ली आ गया। वह और अभियुक्त नोएडा सेक्टर 50 में अलग–अलग रहते थे। जब

अभियुक्त ने विवाह की बात कही तो वे साथ रहने लगे। साक्षी का अब कहना है कि जब वह नोएडा गई तो अभियुक्त वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। कुछ समय बाद अभियुक्त उसके घर आया और उसकी मां को उसकी विवाह के विषय में बताया, उसके बाद वे दोनों नोएडा वापस चले गए। कुछ समय नोएडा में रहने के बाद वे वापस चिरमिरी आ गए। अभियुक्त विवाह के लिए बहाने बनाने लगा और बाद में विवाह करने से इनकार कर दिया। अभियुक्त से शारीरिक संबंध बनाने के कारण वह गर्भवती हो गई। अभियुक्त ने उसे दवा देकर दो बार गर्भपात करा दिया। तब अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

24. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के सुक्ष्मतापूर्वक परीक्षण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अभियोक्त्री ने कहीं भी यह प्रकट नहीं किया है कि किसी भी समय अपीलार्थी ने उसके साथ कोई बलपूर्वक लैंगिक संभोग किए हैं। उनके मध्य शारीरिक संबंध तब तक जारी रहे जब तक अभियोक्त्री गर्भवती नहीं हो गई, अभियुक्त ने उसे दवा देकर दो बार गर्भपात करवा दिया। फिर अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इस प्रकार, प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए, विशेष रूप से अभियोक्त्री की आयु और आचरण के संबंध में साक्ष्य, मेरा यह अभिमत है कि अभियोक्त्री घटना के समय 18 वर्ष से अधिक आयु की थी और वह सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार थी। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में, अपीलार्थी के विरुद्ध पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन अपराध नहीं बनता।

26. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 18.07.2024 को दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का निर्णय अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरुद्ध समस्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी के जेल में निरुद्ध होने की सूचना है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे अविलंब मुक्त किया जाए।

27. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अपीलार्थी को निर्दशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 45 के अनुसार 10,000/– रुपए की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि का एक विश्वसनीय जमानतदार संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जो छह माह की अवधि तक प्रभावशील होगा तथा साथ ही यह वचनबद्धता भी दी जाए कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करने अथवा अनुमति प्रदान करने की स्थिति में,उक्त अपीलार्थी इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

28. इस निर्णय की एक प्रतिलिपि सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु अविलंब संबंधित विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाए।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur